1. विभाग की प्रशासनिक संरचना :-

वर्तमान में विभाग के भारसाधक मंत्री तथा अन्य अधिकारी निम्न लिखित हैं :-

क्र.	नाम	पद
1.	माननीय श्री रामविचार नेताम	मंत्री, विधि एवं विधायी कार्य विभाग
2.	माननीय श्री भैयालाल राजवाड़े	संसदीय सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग
3.	श्री आर. एस. शर्मा	विधि परामर्शी एवं प्रमुख सचिव (सदस्य, उच्च न्यायिक सेवा)
4.	श्री रविशंकर शर्मा	अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (सदस्य, उच्च न्यायिक सेवा)
5.	श्री के. एल. चरयाणी	अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (सदस्य, उच्च न्यायिक सेवा)
6.	श्री राम कुमार तिवारी	अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (सदस्य, उच्च न्यायिक सेवा)
7.	श्री आनंद प्रकाश वारियाल	उप विधि परामर्शी एवं उपसचिव (सदस्य, निम्न न्यायिक सेवा) वर्तमान में नई दिल्ली में पदस्थ
8.	श्री उमेश कुमार काटिया	अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग
9.	श्री पी. एन. त्रिपाठी	उप सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग
10.	श्री डी. पी. पाराशर	उप सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

राज्य का न्याय प्रशासन एवं न्यायिक अधोसंरचना का उन्नयन, न्याय प्रणाली में सुधार इस विभाग का मुख्य कार्य है । विभाग के अध्यक्ष प्रमुख सचिव विधि राज्य के विधि परामर्शी होते हैं ।

अध्यादेश, अधिनियम, नियम का प्रारूपण, परिमार्जन, राज्य के न्यायालयों की स्थापना, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं राज्य के न्यायालय तथा उच्च न्यायालय से संबंधित विभिन्न कार्य संपादित करने वाला विभाग है । राज्य की न्याय व्यवस्था इसी विभाग से प्रशासित होती है ।

यह विभाग सामान्यत: मंत्रिमंडल के मंत्री के अधीन एक पृथक विभाग है, जिसके विभागाध्यक्ष प्रमुख सचिव स्तर के उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी होते है । विधि एवं विधायी कार्य विभाग, विभागीय मंत्री श्री राम विचार नेताम के अधीन एक पृथक विभाग के रुप में कार्यरत है ।

2. विभाग द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यः-

1. जिलों के 16 शासकीय अभिभाषकों एवं 10 अतिरिक्त शासकीय अभिभाषकों के कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, जिन्हें लिपिक, भृत्य, पुस्तकें, कम्प्युटर, टेलीफोन इत्यादि उपलब्ध कराया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2009-10 में अति0 शासकीय अभिभाषक गरियाबंद, सारगढ़, कटघोरा, भानुप्रतापपुर, कोड़ागांव, सक्ती तथा प्रतापपुर में अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक के कार्यालय हेतु सहायक ग्रेड-3 सह कम्प्यूटर आपरेटर के 7 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है । जिनमें नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

2. रिट याचिका क्र. (सी.) नं.-1022/89 ऑल इंडिया जजेस एशोसिएशन विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया के संबंध में शेट्टी आयोग की अनुसंशा के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को दिनांक 01.04.2009 से विशेष भत्ता, यात्रा भत्ता, वर्दी भत्ता तथा उनके वेतनमान उन्नयन आदि के संबंध में क्रमांक 1623/21-ब/छ.ग./2009 दिनांक 28.02.09 के माध्यम से आदेश जारी किये गये है।

3. रिट याचिका क्र. डब्लू पी(सी) न. 1022/89 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में सामान्य पूल से जिला एवं तहसील स्तर पर 15 प्रतिशत शासकीय आवास गृह अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के लिये आरक्षित किये जाने के संबंध में इस विभाग के आदेश क्रमांक 2645/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08.04.2009 के माध्यम से पूर्व आदेश दिनांक 28.02.09 संशोधन जारी किया गया है ।

4. विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने एवं महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने वाले श्री चन्द्रनाथ झा अधिवक्ता, कवर्धा जिला - कबीरधाम एवं श्री विजय कुमार दुबे अधिवक्ता, जांजगीर जिला - जांजगीर को इस विभाग द्वारा बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल पुरस्कार वर्ष 2007-08 के लिए रूपये एक - एक लाख नगद तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका, प्रशस्ति पत्र गणतन्त्र दिवस 2010 के अवसर पर संस्कृति विभाग के माध्यम से प्रदान किया गया है ।

3. विभाग के मुख्य कार्यः-

विभाग के प्रमुख सचिव राज्य के विधि परामर्शी एवं शासकीय न्यासी अधिनियम, 1913 एवं महाप्रशासक अधिनियम, 1963 के प्रावधान अनुसार प्रदेश के ''शासकीय न्यासी'' एवं ''महाप्रशासक'' होते है । राज्य के मुकद्मों का नियंत्रण इस विभाग का एक प्रमुख कार्य है । विधि विभाग द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों को संवैधानिक एवं उनके विभाग से संबंधित अधिनियमों/नियमों/विनियमों के संबंध में उत्पन्न होने वाली विधिक कठिनाई के संबंध में विधिक परामर्श प्रदान किया जाता है ।

इस विभाग में प्रमुख रुप से विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों का प्रारुपण हिन्दी तथा अंग्रेजी में कराया जाता है । विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अधिनियम के रुप में प्रकाशित कराना तथा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किये जाने वाले अध्यादेश प्रारुपित करने तथा उन्हें प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है । विभाग में न्याय प्रशासन संबंधी कार्य संपादित होता है । उच्च न्यायालय में पदस्थ अधिकारियों एवं न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, न्यायालयों की स्थापना तथा शासकीय अधिवक्ताओं एवं विशेष अधिवक्ताओं के पदों पर नियुक्ति की जाती है । उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रशासनिक अधिकरण में प्रस्तुत प्रकरणों के अभियोजन एवं प्रतिरक्षण का कार्य होता है । शासकीय सेवकों के विरुद्व उद्भूत होने वाले भ्रष्टाचार संबंधी एवं भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति के आदेश भी विभाग द्वारा पारित किये जाते है ।

4. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :-

1. छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958
2. न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870
3. लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1949
4. वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887
5. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
6. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
7. हिन्दू अवयस्कता अभिभावकत्व अधिनियम, 1956
8. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
9. हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, 1956
10. विशेष विवाह अधिनियम,1954
11. पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936
12. विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869
13. मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939
14. धर्मान्तरिती (कनवर्टेड) विवाह विच्छेद अधिनियम, 1866
15. ईसाई विवाह अधिनियम, 1872
16. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925

17. संपत्ति हस्तातंरण अधिनियम, 1872
18. संविदा अधिनियम, 1872
19. भागिता अधिनियम, 1932
20. विनिर्दिष्ट अनुतोष (स्पेसिफिक रिलीफ) अधिनियम, 1963
21. प्रान्तीय शोध क्षमता अधिनियम, 1920
22. न्यास अधिनियम, 1882
23 शासकीय न्यासी अधिनियम, 1913
24. महाप्रशासक अधिनियम, 1963
25. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
26. शपथ अधिनियम, 1969
27. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
28. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
29. अधिवक्ता अधिनियम, 1961
30. नोटरीज अधिनियम, 1952
31. न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971
32. दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1932
33. छ0ग0 माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983
34. आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, 1996.
35. परिसीमा अधिनियम, 1963
36. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
37. विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 2002.
38. छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996
39. छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय नियम 2001
40. अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983
41. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम 2006
42. छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम 2006
43. छत्तीसगढ़ कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2007
44. बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल पुरस्कार नियम, 2007
45. छत्तीसगढ़ समाज के कमजोर वर्गो के लिये विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, 1976
46. छत्तीसगढ़ हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (क्र. 10 सन् 2003)
47. छत्तीसगढ़ निम्नतर तथा उच्चतर न्यायिक सेवा (वेतन पुनरीक्षण) नियम, 2003.
48 छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम, 2006.
49 छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम, 2006.

5. विभाग के अंतर्गत अधीन गठित मण्डल, निगम एवं विश्वविद्यालयः-

(1) छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण,

(2) छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण,

(3) हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय,

6. विभाग के अधीन सेवा :-

(1) राज्य न्यायिक सेवा, (उच्चतर एवं निम्नतर न्यायिक सेवा)

(2) राज्य विधिक सेवा,

(3) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी न्यायिक कर्मचारी सेवा,

7. न्याय प्रशासन :-

7.1 माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगणः-

वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय सहित निम्नानुसार माननीय न्यायमूर्तिगण कार्यरत है:-

(1)	माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता,	-	मुख्य न्यायाधिपति
(2)	माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेन्द्र मिश्रा,	-	न्यायाधिपति
(3)	माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. के. सिन्हा,	-	न्यायाधिपति
(4)	माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. के. अग्निहोत्री,	-	न्यायाधिपति
(5)	माननीय न्यायमूर्ति श्री टी. पी. शर्मा,	-	न्यायाधिपति
(6)	माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. के. अग्रवाल	-	न्यायाधिपति
(7)	माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर	-	न्यायाधिपति
(8)	माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एन. चन्द्राकर	-	न्यायाधिपति
(9)	माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एल. झंवर	-	न्यायाधिपति
(10)	माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशान्त कुमार मिश्रा	-	न्यायाधिपति
(11)	माननीय न्यायमूर्ति श्री एम. एम. श्रीवास्तव	-	न्यायाधिपति

7.2: उच्च न्यायालय भवन का निर्माण :-

बिलासपुर के निकट ग्राम बोदरी में उच्च न्यायालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है । यह निर्माण कार्य 24 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रस्तावित है । उक्त निर्माण कार्य हेतु पूर्व में राशि रूपये 6502.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसे पुनः संशोधित कर ज्ञापन क्रमांक 1383 दिनांक 20.02.2009 के माध्यम से राशि रूपये 10660.32 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है । दिनांक 31.03.2009 तक कुल रूपये 7745.03 लाख व्यय किया जा चुका है ।

7.3: न्याय प्रशासन अधोसंरचना विकास सुविधा (न्यायालय भवन/आवासीय भवनों का निर्माण):-

न्यायालय भवनों और आवासीय भवनों के निर्माण हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आबंटन प्राप्त होता है जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50:50 का होता है । इस योजना के अंतर्गत 01.01.2000 से 31.12.2009 तक केन्द्रांश के रूप में रूपये 1916.06 लाख एवं इसी के अनुरूप राज्यांश की राशि रूपये 1916.06 लाख कुल रूपये 3832.12 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है । जिसके विरूद्ध वर्ष 2008-09 तक रूपये 4589.76 लाख न्यायालय भवन तथा आवासीय भवन के निर्माण पर तथा उच्च न्यायालय भवन तथा आवासीय परिसर हेतु रूपये 10815.47 लाख इस प्रकार कुल राशि रूपये 15405.23 लाख व्यय किया जा चुका है । उक्त व्यय में राज्य शासन द्वारा उच्च न्यायालय हेतु प्रदाय किया गया आबंटन भी शामिल है । केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत विभाग द्वारा निम्न कार्य कराया जाता है :-

न्यायालयीन भवन तथा आवासीय भवन का निर्माण ।

वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु न्याय प्रशासन के अन्तर्गत अधोसंरचना विकास सुविधा के लिए राशि रूपये 1026.00 लाख न्यायालय भवनों के लिए तथा उच्च न्यायालय आवासीय परिसर के लिए राशि रूपये 1100.00 लाख का बजट प्रावधान है ।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में (01.01.2009 से 31.12.2009 तक) अधोसंरचना विकास सुविधा अंतर्गत निम्नानुसार प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये गये हैं :-

(लाख रू. में)

क्र.	विषय	प्रशासकीय स्वीकृति		राशि रू. में
		क्रमांक	दिनांक	
1	2	5	6	7
1	सिविल कोर्ट भवन रायगढ़ में चेंज ओवर स्वीच लगाने के संबंध में ।	4207	22-Mar-09	35725.00
2	उच्च न्यायालय के नवीन भवन के Lan-Setup हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।	4216	22-Mar-09	3360000.00

क्र.	विषय	प्रशासकीय स्वीकृति		राशि रू. में
		क्रमांक	दिनांक	
3	छ.ग. उच्च न्यायालय के न्यायालय क्रमांक 8 में संस्थापित 8.5 टन एयरकॉन पैकेज ए.सी. के मरम्मत बाबत् ।	4304	24-Mar-09	124000.00
4	जिला न्यायालय कोरबा के निर्माणाधीन न्यायालय भवन के निर्माण कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति बाबत् ।	4288	27-Mar-09	27142000.00
5	अधिवक्ता सघ सीतापुर हेतु अधिवक्ता संघ भवन का निर्माण बाबत् ।	3480	18-May-09	500000.00
6	वर्ष 2009-10 के लिए बजट आबंटन की संसूचना (लघुमूल गौण कार्य) (8.00+4.00 लाख)	4180	18-Jun-09	1200000.00
7	जिला न्यायालय बिलासपुर स्थित पुराने लोकअप रूम को परिवर्तित कर बनाये गए नवनिर्मित कोर्ट रूम नं. 13 में विद्युतीकरण करने बाबत्	4975	22-Jun-09	39300.00
8	जिला न्यायालय दुर्ग में 9 नग कोर्टरूम के सीन पर 20 नग अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण	4396	1-Jul-09	46584000.00
9	कोण्डागांव जिला बस्तर में न्यायिक कर्मचारियों के लिए 5 नग एच एवं 3 नग आई टाईप आवासगृहों का निर्माण की प्रशा./वित्तीय स्वीकृति	4607	9-Jul-09	2520000.00
10	जांजगीर-चांपा में विधिक सेवा हेतु न्याय सदन भवन का निर्माण ।	4397&4856	17-Jul-09	2384300.00
11	माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल.झंवर उच्च न्यायालय द्वारा अधिवासित बंगले में विद्युतीकरण करने बाबत् ।	5179	30-Jul-09	46600.00
12	कुरूद जिला - धमतरी में नवीन व्यवहार न्यायालय भवन के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति बाबत् ।	5180	30-Jul-09	13898000.00
13	उच्च न्यायालय के लेखा शाखा में 4 नग कम्प्यूटर पांईट एवं 01 नग ट्यूब लाईट तथा एडी. रजिस्ट्रार (न्यायिक) के कार्यालय इन्टेंस में 01 नग वाल माउन्टिंग फेन लगाने के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत् ।	5226	31-Jul-09	4330.00
14	उच्च न्यायालय के डब्ल्यू. पी. सेक्शन व चेकर सेकशन में 01 नग सीलिंग फेन लगाने हेतु ।	5227	31-Jul-09	7500.00
15	माननीय मुख्य न्यायाधिपति, छ.ग. उच्च न्यायालय के मुगेली रोड बिलासपुर स्थित बंगले के गैरेज में विद्युतीकरण बाबत् ।	5309	3-Aug-09	17550.00

क्र.	विषय	प्रशासकीय स्वीकृति		राशि रू. में
		क्रमांक	दिनांक	
16	उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति के बंगले के कैंपस में स्थित गार्ड रूम में सीलिंग फेन लगाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत् ।	5310	3-Aug-09	4498.00
17	माननीय मुख्य न्यायाधिपति छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के बंगले में मरम्मत कार्य की स्वीकृति बाबत् ।	5279	3-Aug-09	135000.00
18	जिला न्यायालय बिलासपुर स्थित पुराने लोकअप रूम को परिवर्तित कर बनाये गए नवनिर्मित कोर्ट रूम नं. 14 में विद्युतीकरण करने बाबत् ।	5278	3-Aug-09	39300.00
19	माननीय मुख्य न्यायाधिपति छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के बंगले में स्टोर रूम का निर्माण किये जाने की स्वीकृति बाबत् ।	5346	6-Aug-09	131000.00
20	तहसील पण्डरिया जिला - कबीरधाम में नवीन व्यवहार न्यायालय भवन एवं न्यायिक अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति बाबत् ।	5455	12-Aug-09	11309000.00
21	जिला न्यायालय भवन रायगढ़ में तड़ित चालक संस्थापित किये जाने बाबत् ।	5452	12-Aug-09	57072.00
22	जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ के बंगले में तड़ित चालक संस्थापित किये जाने बाबत् ।	5451	12-Aug-09	41946.00
23	नवनिर्मित जिला न्यायालय भवन कोरबा में तड़ित चालक संस्थापित किये जाने बाबत् ।	5453	12-Aug-09	20230.00
24	जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा के बंगले में तड़ित चालक संस्थापित किये जाने बाबत् ।	5454	12-Aug-09	12451.00
25	छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में ट्रांसफारमर से पैनल बोर्ड तक दो नग केबिल बिछाने की स्वीकृति बाबत् ।	5516	17-Aug-09	75650.00
26	जिला न्यायालय जांजगीर में महिला कर्मचारियों हेतु पृथक प्रसाधन एंव भोजन कक्ष के निर्माण की स्वीकृति बाबत् ।	6258	7-Sep-09	354000.00
27	माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एन. चन्द्राकर छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के बंगला क्रमांक ए-28 में नवनिर्मित कार्यालय भवन में स्प्लिट टाईप ए.सी. संस्थापित किये जाने बाबत् ।	6341	9-Sep-09	98900.00

क्र.	विषय	प्रशासकीय स्वीकृति		राशि रू. में
		क्रमांक	दिनांक	
28	तकनीकी सदस्य एवं रजिस्ट्रार छ.ग. माध्यस्थम अधिकरण रायपुर के कक्ष हेतु ए.सी. क्रय किये जाने की स्वीकृति बाबत् ।	6460	15-Sep-09	45000.00
29	माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के आवासीय बंगले में कांक्रीट ब्लाक बिछाने बाबत् ।	6396	10-Sep-09	124700.00
30	जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर के लिए अधिवक्ता संघ भवन का निर्माण बाबत् ।	6851	3-Oct-09	996000.00
31	माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के बंगले में इनवर्टर लगाने बाबत् ।	6927	7-Oct-09	40500.00
32	माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के बंगले में सम-मर्सिबल पम्प सेट लगाने बाबत् ।	6918	7-Oct-09	19100.00
33	माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल.झंवर छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के बंगले में ई.पी.ए.बी.एक्स सिस्टम संस्थापित किये जाने बाबत् ।	7189	23-Oct-09	33300.00
34	माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के.अग्रवाल, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा अधिवासित पुराना सी.एफ.बंगला क्र. बी-23, सिविल लाईन में इलेक्ट्रिक चिमनी संस्थापित किये जाने बाबत् ।	7568	6-Nov-09	21420.00
35	माननीय मुख्य न्यायाधिपति, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के बंगले में बैटरी के साथ इन्वर्टर संस्थापित किये जाने बाबत् ।	7566	6-Nov-09	37350.00
36	माननीय मुख्य न्यायाधिपति, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के बंगले के बाथरूम में म्समबजतपब ॅतपदह - म्समबजतपबंस ।बबमेवतपमे लगाये जाने बाबत् ।	7567	6-Nov-09	12900.00
37	माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के. अग्रवाल, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के बंगले में बैटरी (म्गपकम) संस्थापित किये जाने बाबत् ।	7569	6-Nov-09	25200.00
38	माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एल. झंवर, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के (पुराना आई.जी. बंगला) नेहरू चौक स्थित बंगले में गार्डन लाईट की व्यवस्था किये जाने बाबत् ।	8576	15-Dec-09	117100.00
39	माननीय न्यायमूर्ति श्री टी. पी. शर्मा, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के बंगला क्रमांक बी-46 में एरिया लाइटिंग की व्यवस्था किये जाने बाबत् ।	8634	17.12.2009	546200.00

7.4: कुटुम्ब न्यायालय का निर्माण :-

पारिवारिक मामलों के त्वरित निराकरण हेतु कुटुम्ब न्यायालय के लिए रायपुर में 3, दुर्ग में 4, बिलासपुर में 1, कोरबा में 1, अंबिकापुर में 1, रायगढ़ में 1, कोरिया में 1, जांजगीर में 1, राजनांदगांव में 1, जगदलपुर में 1, कबीरधाम में 1, कांकेर में 1, महासमुन्द में 1 एवं धमतरी में 1 इस प्रकार कुल 19 कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना की गई है ।

कुटुम्ब न्यायालय के भवन निर्माण हेतु पूर्व में रूपये 20.00 लाख का आबंटन केन्द्र सरकार से प्राप्त हुआ था, जिसके अन्तर्गत बिलासपुर एवं रायपुर में 1-1 कुटुम्ब न्यायालय एवं आवासीय भवन का निर्माण किया गया था । शेष कुटुम्ब न्यायालय यथा रायपुर में 2, दुर्ग में 4, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा में 1-1 इस प्रकार कुल 9 कुटुम्ब न्यायालय हेतु केन्द्रांश के रूप में प्राप्त आबंटन रूपये 90.00 लाख (जिसके अनुरूप राज्य शासन द्वारा भी रूपये 90.00 लाख) आबंटन प्राप्त हुआ था । उक्त निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 143.64 लाख का ज्ञापन क्रमांक 4693 - 4697 दिनांक 01.06.2007 के माध्यम से प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया गया । आवर्ती व्यय हेतु वर्ष 2007-08 में रूपये 50.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है ।

7.5: फास्ट ट्रेक कोर्ट्स का निर्माण :-

प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु राज्य गठन के पश्चात् 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर न्याय प्रशासन के नियम के तहत् राज्य में 31 फास्ट ट्रेक कोर्ट की अवधि 5 वर्ष के लिए वृद्धि करते हुए वर्ष 2010 तक चलाए जाने का निर्णय लिया गया । जिसके द्वारा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर लंबित प्रकरणों की संख्या में काफी कमी लाई गई है । फास्ट ट्रेक कोर्ट में कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी एवं अधिवक्तागणों के शुल्क यथा वेतन भत्तों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 में रूपये 148.80 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है ।

7.6: न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण :-

राज्य में न्यायालयों के आधुनिकीकरण हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है । जिसके तहत् उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय एवं समस्त अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है । वर्ष 2009-10 के लिए इस योजनान्तर्गत रूपये 100.00 लाख का बजट प्रावधान है एवं यह आबंटन छ.ग. उच्च न्यायालय को प्रदाय किया जा चुका है ।

7.7: वर्ष 2009-10 के लिए बजट प्रावधान :-

विधि विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 में निम्नानुसार आबंटन प्राप्त हुआ है :-

(लाख रू. में)

क्र.	योजना क्र.	योजना विवरण	बजट प्रावधान
1	5421	न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान	51.60
2	573	उच्च न्यायालय (भारित)	2218.00
3	5416	परिवार न्यायालय	589.20
4	2410	निर्वाह पत्र तामील स्थापना	423.50
5	4497	सामान्य स्थापना	4804.00
6	7256	न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण	100.00
7	1912	दण्ड न्यायालय	7.60
8	3428	महाधिवक्ता	314.40
9	3572	मुफस्सिल स्थापना	346.80
10	2918	बार एसोसियेशन के पुस्तकालयों हेतु आर्थिक सहायता	100.00
11	5464	राज्य में नेशनल लॉ स्कूल का गठन	200.00
12	2015	निर्वाचन अधिकारी	5329.20
13	9057	विधि एवं विधायी कार्य	273.10
14	9056	माध्यस्थम अधिकरण	80.90
15	3255	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	206.50
16	5136	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुदान	60.00
17	5171	विशेष न्यायालयों की स्थापना	178.60
18	5136	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुदान	10.00

7.8: हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय :-

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के स्थापना व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में रूपये 200.00 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें से रूपये 100.00 लाख का आबंटन विश्वविद्यालय को प्रदाय किया जा चुका है ।

इसी प्रकार हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भवन का निर्माण अधोसंरचना विकास के तहत् किया जा रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 में रूपये 2000.00 लाख का बजट प्रावधान था । हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भवन निर्माण हेतु वर्ष 2006-07

में रूपये 1000.00 लाख एवं बिलासपुर केन्द्र के लिए रूपये 450.00 लाख तथा वर्ष 2007-08 में रूपये 1042.16 लाख भवन निर्माण हेतु तथा अन्य आवश्यक कार्य हेतु रूपये 1000.00 लाख का आबंटन प्रदाय किया गया है । इसी प्रकार वर्ष 2008-09 में रूपये 1700.00 लाख का आबंटन प्रदाय किया गया है । हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय माह अगस्त 2009 में नया रायपुर स्थित नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित हो गया है ।

7.9: विधिक सहायता तथा गरीबों को विधिक सलाह :-

इस योजना के अंतर्गत गरीबों को विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाता है । यह विधिक सहायता / सलाह, छ.ग. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रदान की जाती है ।

गरीबों को विधिक सहायता स्थायी लोक अदालत, विधिक साक्षरता, प्रचार-प्रसार, पेंशन लोक अदालत, बैंक लोन रिकवरी अदालत, विवाद विहीन ग्राम योजना, पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र आदि योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है ।

विधिक सहायता / सलाह हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 में रूपये 276.50 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें रूपये 205.00 लाख का आबंटन विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को प्रदाय किया जा चुका है ।

8. छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण

यद्यपि छत्तीसगढ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम के अंतर्गत इस अधिकरण का कार्यक्षेत्र छत्तीसगढ़ शासन तथा उससे संबंधित/पब्लिक अंडरटेकिंग के बीच उत्पन्न होने वाले 50,000/- रूपये या उससे अधिक की क्षतिपूर्ति के दावे तक सीमित है, लेकिन वर्तमान समय में जिस गति से नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य में विकास कार्य प्रारंभ हो रहे हैं और ऐसे विकास कार्यो में जिस प्रकार के वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता है, उसे देखते हुए छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण का कार्यक्षेत्र बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ।

छ.ग. माध्यस्थम अधिकरण द्वारा प्रकाशित ''रिपोर्टिंग'' से छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम के संबंध में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्राप्त होने के साथ ही संबंधित विभाग के प्रकरण प्रभारियों सहित नव अधिवक्ताओं को और पक्षकारों, सामान्य नागरिकों को उक्त रिपोर्टिंग से इस अधिकरण से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों की प्रक्रियात्मक जानकारी उपलब्ध हो सकी है ।

संदर्भित वर्ष में इस अधिकरण के समक्ष 15 नवीन विवाद प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका कुल न्यायशुल्क 39,26,668-00 रूपये शासन को प्राप्त हुआ है । संदर्भित वर्ष में कुल दो अवार्ड पारित किये गये हैं तथा सात विविध प्रकरण निराकृत किये गये हैं । इस प्रकार कुल 9 मामलों का निराकरण हुआ है । निराकृत प्रकरणों में कुल 2,32,843-00 रूपये तक के अवार्ड पारित किये गये हैं ।

छ.ग. शासन द्वारा इस अधिकरण हेतु तकनीकी सदस्य के रूप में श्री पी.एस. क्षत्री तथा न्यायिक सदस्य के रूप में श्री सी.बी.एस. पटेल की नियुक्ति की गई है । नियुक्ति उपरान्त श्री पी.एस. क्षत्री द्वारा तकनीकी सदस्य के पद पर दिनांक 11.06.2009 से तथा श्री सी.बी.एस. पटेल द्वारा न्यायिक सदस्य के पद पर दिनांक 22.09.2009 से कार्यभार ग्रहणोपरान्त सदस्यों के रूप में कार्यरत हैं । अतः अब अधिकरण के लंबित प्रकरणों में जल्द से जल्द सुनवाई हो रही है ।

इस अधिकरण में लगातार नवीन प्रकरण पंजीबद्ध किये जा रहे हैं, जिससे कार्य में वृद्धि हो रही है । चूंकि इस अधिकरण का कार्य सिविल न्यायालय की तरह है तथा यहां भी अलग अलग अनुभाग जैसे प्रतिलिपि विभाग, लेखा विभाग आवक जावक, अभिलेखागार इत्यादि अनुभाग है ।

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण में अधिकारियों की अब तक की सूची:-

1.	अध्यक्ष	-	1	माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.बी. दीक्षित (दिनांक 22.06.05 से 22.06.08 तक)
			2	माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार तिवारी (दिनांक 12.09.2008 से)
2.	न्यायिक सदस्य	-	1	श्री एन.एस. राजपूत (दिनांक 22.08.05 से 24.01.06 तक)
			2	श्री सी.बी.एस. पटेल (दिनांक 22.09.2009 से अब तक)
3.	तकनीकी सदस्य	-	1	स्व. श्री एल.पी.खरे (दिनांक 08.07.05 से 24.01.06 तक)
			2	श्री एच.व्ही. राठौड़ (दिनांक 25.09.06 से 08.08.08 तक)
			3	श्री पी.एस. क्षत्री (दिनांक 11.06.09 से अब तक)
4.	रजिस्ट्रार	-	1	श्रीमती अनुराधा खरे (दिनांक 01.04.05 से 02.06.05 तक)
			2	श्री अनिल शुक्ला (दिनांक 15.07.05 से 25.06.06 तक)
			3	श्री एन.एस. उसेन्डी (दिनांक 20.04.2006 से अब तक)

आगामी कार्यकलापों का विवरण :-

इस अधिकरण द्वारा आयोजित की गई सेमीनार दिनांक 14.07.2007 में कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनमें मुख्य सुझाव यह है कि ''वर्क-कांट्रेक्ट'' की परिभाषा को विस्तृत किया जाये, ताकि उसके अंतर्गत शासन द्वारा लिखित अनुबंध के आधार पर कराये जाने वाले और अनेक कार्यो को अधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया जा सके । इसी प्रकार ''पब्लिक अंडरटेकिंग'' की परिभाषा को अधिक विस्तृत करते हुए स्वशासकीय संस्थाएं भी उसके अंतर्गत लाई जा सके तथा ऐसे विभिन्न निकाय जो शासन के व्यय से संचालित हैं, उन्हें भी इस परिभाषा के अंतर्गत लाया जा सके ।

उपरोक्त सेमीनार में ठेकेदारों के विभिन्न प्रतिनिधियों ने यह प्रस्ताव रखा था कि विकास कार्यो में धांधली रोकने के लिए शासकीय स्तर पर एक ऐसे बोर्ड का गठन किया

जाये, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ सम्मिलित हों तथा जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय के स्तर का न्यायाधिपति हों एवं इस प्रकार के बोर्ड के द्वारा ही ठेका प्रदान करने की प्रक्रिया पर नियंत्रण किया जाये और उस स्तर पर उत्पन्न होने वाले विवादों का निराकरण किया जाये।

इस अधिकरण के भविष्य के क्रियाकलापों तथा आगामी योजनाओं हेतु दिनांक 31.12.2009 को एक विभागीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें आगामी कार्यकलापों के संबंध में विचार विमर्श किया गया ।

9. हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

माननीय न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 के तहत हुई है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के सेक्शन 2(एफ) तथा 12बी तथा बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के एड्व्होकेट्स एक्ट की धारा 7(1) के तहत अनुमोदित है ।

सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं ।

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय माह अगस्त 2009 में अपने नवीन कैम्पस में शिफ्ट हो गया है । विश्वविद्यालय का नवीन कैम्पस 65 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित है जिसके निकट एक सुन्दर तालाब है । विश्वविद्यालय का कैम्पस प्रदूषण मुक्त वातावरण में ग्राम उपरवारा तहसील अभनपुर जिला रायपुर में स्थित है । विश्वविद्यालय कैम्पस बहुत अच्छी अधोसंरचना, मॉडर्न टीचिंग साधन तथा अतुलनीय सुविधाओं से परिपूर्ण है । विश्वविद्यालय का अकादमिक तथा प्रशासकीय भवन भारत के संसद-भवन जैसी डिजाईन पर निर्मित है।

अकादमिक तथा प्रशासकीय भवन के मध्य में एक यूनीक एम्फीथियेटर तथा चार प्रवेश द्वार हैं । यह सुन्दर एम्फीथियेटर एथेंस ग्रीस में बने एम्फीथियेटर की तरह है । इस एम्फीथियेटर में 1000 व्यक्ति एक समय में सम्मिलित हो सकते हैं एवं इसका इस्तेमाल सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा अन्य कॉमन गैदरिंग के लिए होता है ।

एचएनएलयू के पास एक भव्य, खूबसूरत, तिमंजिला ग्रंथालय है जिसमें वातानुकूलित रीडिंग हॉल्स हैं जिसमें एक समय में 200 व्यक्तियों की बैठक व्यवस्था उपलब्ध है । एचएनएलयू लायब्रेरी का स्ट्रक्चर लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स की तरह है ।

लायब्रेरी में कई मॉडर्न बुक स्टैक्स हैं जिसमें काफी संख्या में बहुमूल्य पाठ्य-पुस्तकें, जर्नल्स, रेफ्रेंस बुक्स तथा पीरियॉडिकल्स हैं । इसमें पर्यावरण के अनुकूल व्ही.आई.पी. लाउंज हैं जो कि ओपन टू स्काई एरिया में हैं । यह क्षेत्र पारदर्शी पॉलीमर शीट्स से ढंके हुए हैं जो सीधी सूर्यरौशनी एवं बारिश से सुरक्षा प्रदान करते हैं । दिनभर, लायब्रेरी का यह क्षेत्र प्राकृतिक रौशनी से रौशन रहता है । हरियाली से परिपूर्ण एम्फीथियेटर इस क्षेत्र से कांच के पार दिखाई देता है, पर्यावरणीय तथा शांत वातावरण निर्मित होता है जिससे लायब्रेरी इस्तेमाल करने वाले अपना ध्यान केन्द्रित कर रीडिंग का आनंद उठा सकते हैं ।

एचएनएलयू में परिपूर्ण तथा पूर्ण-वातानुकूलित कम्प्यूटर लैब है जिसमें इंटरनेट तथा वाई-फाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं । विश्वविद्यालय 4 एमबीपीएस इंटरनेट कनेक्टिविटी सब्स्क्राईब करती है । बहुत उपयोगी लीगल डाटाबेसेस वेस्टलॉ तथा मनुपत्रा का भी नियमित सब्स्क्रिप्शन किया जाता है । कम्प्यूटर लैब में नवीन कम्प्यूटर फर्नीचर तथा क्यूबिकल्स लगे हुए हैं । कम्प्यूटर लैब में 160 कम्प्यूटर टर्मिनल/नोड्स दिए गए हैं । अकादमिक तथा प्रशासकीय ब्लॉक में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट मूट कोर्ट हॉल स्थित हैं जो माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मानकों के अनुरूप सावधानीपूर्वक डिजाईन किए गए हैं ।

अकादमिक भवन में 24 वातानुकूलित कक्षाएं हैं जिनमें नवीन टीचिंग एड्स जैसे वाई-फाई डीएलपी प्रोजेक्टर, इंटरेक्टिव बोर्ड्स इत्यादि लगे हुए हैं जिससे क्वालिटी अकादमिक वातावरण निर्मित होता है ।

वातानुकूलित कांफ्रेंस हॉल में एकॉस्टि ट्रीटमेंट किया गया है जिसमें उच्च स्तर की ऑडिटोरियम कुर्सियां लगाई गई हैं । इस कान्फ्रेंस हॉल में 400 व्यक्तियों की बैठक क्षमता है जहां सेमिनार, स्पेशल लेक्चर्स तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । कार्यशालाएं तथा बैठकें बोर्ड रूम में संपादित की जाती हैं । विश्वविद्यालय में पृथक-पृथक बालिका एवं बालक छात्रावास हैं जिनमें 900 आवासीय कक्ष बने हुए हैं । प्रत्येक विद्यार्थी को सिंगल रूम अकोमोडेशन तथा नवीन हॉस्टल फर्नीचर प्रदाय किया गया है । छात्रावासों में पृथक मेस तथा जिम्नेजियम हैं । आंतरिक तथा बाह्य खेल सुविधाएं भी कैम्पस में उपलब्ध हैं ।

विश्वविद्यालय परिसर में मेडिकल सुविधाएं जिनमें विजीटिंग डॉक्टर तथा एम्बुलेंस भी उपलब्ध है । आपातकालीन मेडिकल सुविधाओं, कंसल्टेशन तथा चेक-अप हेतु विश्वविद्यालय का निकटवर्ती अस्पतालों एवं क्लिनिक्स से टाई-अप है ।

एचएनएलयू के पास सक्षम, समर्पित तथा अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन्ड संकाय सदस्यों की टीम है जिससे विद्यार्थियों को व्यावसायिक ज्ञान प्रदान किया जाता है । कोर्स को डिजाईन करने एवं पढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया जाता है तथा विद्यार्थी को उसके विश्वविद्यालय में रहने की अवधि में पूरी तरह से एक प्रोफेश्नल बनाया जाता है । लगातार मूल्यांकन पद्धति से विद्यार्थियों की सही क्षमता का सच्चा मूल्यांकन होता है । विश्वविद्यालय में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात देश में उत्कृष्ट अनुपातों में से एक है । शिक्षकों को वातानुकूलित कक्षा तथा नवीन टीचिंग गैजेट्स प्रदान किए जाते हैं।

एचएनएलयू ने अपने विद्यार्थियों के कैम्पस प्लेसमेंट में एक रिकॉर्ड बनाया है । चयनकर्ताओं में अमरचंद मंगलदास तथा सुरेश ए. श्रौफ एवं कंपनी, आनंद एण्ड आनंद, एक्सिस बैंक, एजेडबी एवं पार्टनर्स, बजाज एलायंज, कार्पोरेट लॉ ग्रूप, दवे तथा गिरीश एवं कंपनी, देसाई एवं दीवानजी, डीएसके लीगल, दुआ एवं एसोसिएट्ट, ग्रांट थार्नटन, ह्यूमन राईट्स लॉ नेटवर्क, आईसीआईसीआई बैंक, आईएलएफ एडव्होकेट्स, इंडसलॉ, अईयर तथा सूनावाला, खैतान एवं कंपनी, लक्ष्मीकुमारन एवं श्रीधरन एवं वैश्व एवं एसोसिएट्स, मजमूदार एवं कंपनी, माइंड क्रेस्ट, निशिथ देसाई एसोसिएट्स, पी एवं ए लॉ ऑफिसेस, पेन्जिया, प्राईस वाटर हाउस कूपर्स, क्विसलेक्स, एसडीडी ग्लोबल, तलवार ठाकोर एवं एसोसिएट्स, वाडिया गांधी एवं कंपनी, जियुस लॉ एसोसिएट्स सम्मिलित हैं।

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रतिष्ठित माइक्रोसाफ्ट आईपी स्कॉलरशिप

छात्र समुदाय को इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी लॉ की ओर आकर्षित करने एवं बढ़ावा देने हेतु माइक्रोसाफ्ट इण्डिया (एक अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी) एवं दिल्ली की लॉ फर्म अमरचंद मंगलदास ने संयुक्त रूप से आईपी स्कॉलरशिप योजना जारी रखी है और देशभर से प्रतियोगी निबंध आमंत्रित किये । माइक्रोसॉफ्ट आईपी स्कॉलरशिप हेतु, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के तीन छात्रों श्री मोल्ला हसनुज्जमान, श्री जॉन चेरियन अम्बूकेन एवं श्री देबज्योति दास का चयन वर्ष 2009-2010 के लिए किया गया है । प्रत्येक छात्र को सत्र 2009-2010 हेतु स्कॉलरशिप राशि रुपये 80,000/- प्राप्त हुई ।

माइनॉरिटी स्कॉलरशिप

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर के दो विद्यार्थियों सुश्री प्रियंका लाल तथा श्री रहीम उबवानी को वर्ष 2009-10 हेतु माइनॉरिटी स्कॉलरशिप प्राप्त हुई ।

विशेष व्याख्यान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2009 में हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विशेष व्याख्यान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

- ❖ श्री बी. गोपालकृष्णन, अध्यक्ष एवं विधि प्रमुख, एक्सिस बैंक ने विश्वविद्यालय भेंट कर छात्रों से कार्पोरेट लॉ के विषय में चर्चा की ।

- ❖ श्री गौरांग कान्त, पार्टनर, कान्त एण्ड एसोसिएट्स लॉ फर्म ने विश्वविद्यालय भेंट कर भारतीय परिदृष्य के परिप्रेक्ष्य में कार्पोरेट सेक्टर विषय में गहन चर्चा की ।

- ❖ श्री के.के. राय, वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय ने एचएनएलयू भेंट कर विशेष व्याख्यान विद्यार्थियों को दिए । विशेष व्याख्यान में प्रोसीजरल तथा सब्सटेंटिव लॉ, विशेषकर कार्पोरेट गवर्नेंस के परिप्रेक्ष्य में दिए गए ।

- ❖ श्री समीर गांधी, पार्टनर, ई.एल.पी. लॉ फर्म ने एचएनएलयू भेंट कर छात्रों से उनकी अकादमिक गतिविधियों के संबंध में चर्चा की तथा उनके कैरियर प्लेसमेंट के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया ।

- ❖ जस्टिस श्री व्ही.के. श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त), बिलासपुर ने एचएनएलयू भेंट कर विद्यार्थियों को उन्होंने लॉ ऑफ एवीडेंस तथा अन्य क्रिमिनल माईनर तथा मेजर लेजिस्लेशन्स (जिनमें प्रोसीजरल तथा सब्सटेंटिव पक्ष समाहित हैं) पर विशेष व्याख्यान दिए जिसमें तकनीकी पहलुओं को विस्तार से समझाया गया ।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं।

- ❖ 14वीं स्टेटसन इंटरनेशनल पर्यावरण मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन सितंबर 2009 में किया गया । एचएनएलयू की टीम ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की जिसमें टीम के सदस्य सुश्री अवनि बंसल, श्री देबज्योति दास, श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सुश्री आकांक्षा कुमार तथा सुश्री गुनीत कौर सम्मिलित थे । **एचएनएलयू की टीम ने इस प्रतियोगिता में बेस्ट स्पीकर तथा सेकण्ड बेस्ट स्पीकर के पुरस्कार प्राप्त किए ।**

राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं।

- ❖ तीसरी अखिल भारतीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लॉ, केरल द्वारा माह जनवरी 2009 में आयोजित किया गया । एचएनएलयू की टीम ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की जिसमें टीम के सदस्य सुश्री श्रीमोई देब, सुश्री आर्या त्रिपाठी तथा श्री जॉन अद्वैत राघव सम्मिलित थे । **इस प्रतियोगिता में एचएनएलयू की टीम ने बेस्ट टीम, बेस्ट रिसर्चर, बेस्ट स्पीकर (पुरुष), बेस्ट स्पीकर (महिला) तथा बेस्ट मेमोरियल अवार्ड्स प्राप्त किये।**
- ❖ 13वीं अखिल भारतीय राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2009 का आयोजन यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, बैंगलोर द्वारा फरवरी 2009 में किया गया । एचएनएलयू की टीम ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की जिसमें टीम के सदस्य श्री अन्शुमन श्रीवास्तव, श्री सौरभ शेखर तथा श्री वैभव शुक्ला सम्मिलित हुए । **एचएनएलयू टीम ने इस प्रतियोगिता में बेस्ट मेमोरियल अवार्ड प्राप्त किया।**

- ❖ केरला लॉ अकादमी, त्रिवेन्द्रम द्वारा फरवरी 2009 में 20वें मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । एचएनएलयू की टीम ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की जिसमें टीम के सदस्य सुश्री ऐश्वर्या चन्दर, श्री चन्द्रशेखर तथा श्री अमित सिन्हा सम्मिलित हुए । **एचएनएलयू टीम इस प्रतियोगिता में सेमीफाईनलिस्ट रही।**

- ❖ प्रो-बोनो एमीनो लीगल मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन अंबेडकर लॉ कॉलेज, चेन्नई द्वारा वर्ष 2009 में किया गया । एचएनएलयू की टीम ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की जिसमें टीम के सदस्य सुश्री रिनी मित्रा, सुश्री आरती जायसवाल तथा श्री प्रभाकर सम्मिलित हुए । **एचएनएलयू की टीम इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रही।**

- ❖ एमिटी लॉ कॉलेज दिल्ली द्वारा मार्च 2009 में एमिटी लॉ कॉलेज मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । एचएनएलयू की टीम ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की जिसमें टीम के सदस्य सुश्री अवनि बंसल, श्री आदित्य कुट्टी तथा श्री ऋषि ठाकुर सम्मिलित हुए । **एचएनएलयू टीम ने इस प्रतियोगिता में बेस्ट स्पीकर एवं बेस्ट एडव्होकेट पुरस्कार प्राप्त किए ।**

- ❖ आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, मोहाली द्वारा मार्च 2009 में सुराना एवं सुराना नेशनल कार्पोरेट लॉ मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । एचएनएलयू की टीम ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की जिसमें टीम के सदस्य श्री सौरभ सरावगी, श्री रोहन मित्तल एवं श्री गौरव प्रियदर्शी सम्मिलित हुए । **एचएनएलयू टीम ने इस प्रतियोगिता में बेस्ट स्पीकर, बेस्ट मेमोरेन्डम तथा तृतीय बेस्ट टीम पुरस्कार प्राप्त किए।**

- ❖ नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर द्वारा 2009 में नेशनल लॉ स्कूल पार्लियामेंटरी वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । एच.एन.एल.यू. की टीम ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की जिसमें टीम के सदस्य श्री सौरभ गुजराती, श्री आसित बेहरा एवं श्री अभ्युदय सिंह सम्मिलित हुए ।

- ❖ चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना द्वारा फरवरी 2009 में पार्लियामेंटरी वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । एचएनएलयू की टीम ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की जिसमें टीम के सदस्य सुश्री कृपि भट्ट, श्री मोहित सिंह तथा सुश्री अनुभूति मिश्रा सम्मिलित हुए ।

- ❖ एस.आई.एम.सी. साउथ एशियन पीस मीट का आयोजन 2009 में किया गया । एचएनएलयू की टीम ने इसमें प्रतिभागिता की जिसमें टीम के सदस्य श्री मोहित सिंह, सुश्री कृपि भट्ट, सुश्री अश्मिता, सुश्री अनुभूति मिश्रा तथा सुश्री गरिमा मित्रा सम्मिलित हुए ।

- ❖ नेशनल लॉ स्कूल, एमयूएन 2009 का आयोजन नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर द्वारा किया गया। एचएनएलयू की टीम ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की जिसमें टीम के सदस्य श्री मोहित सिंह, श्री हिमांशु चौबे, श्री श्रीजन शुक्ला तथा श्री राहुल श्रीवास्तव सम्मिलित हुए। **श्री हिमांशु चौबे को इसमें बेस्ट पॉजिटिव पेपर का पुरस्कार प्राप्त हुआ।**

- ❖ हैंसार्ड-एनआईटी रायपुर पार्लियामेंटरी वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन मार्च 2009 में किया गया। एचएनएलयू की टीम ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की जिसमें टीम के सदस्य श्री मोहित सिंह, सुश्री अनुभूति मिश्रा एवं श्री देबोजीत सरकार सेमीफाईनलिस्ट रहे। **श्री सौरभ सरावगी, श्री देवज्योति दास एवं सुश्री अनुभूति मिश्रा इस प्रतियोगिता के विजेता रहे।**

विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की बैठकें :-

वर्ष 2009 के दौरान हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों प्राधिकारियों की निम्नानुसार बैठकें हुईं -

कार्यपालक परिषद्

वर्ष 2009 में विश्वविद्यालय की कार्यपालक परिषद् की बैठकें दिनांक 08.01.2009, 09.03.2009, 01.08.2009 एवं 26.09.2009 को हुईं। इन बैठकों में अकादमिक परिषद् की अनुशंसाओं तथा कार्यवृत्त, वित्त समिति की अनुशंसाओं तथा कार्यवृत्त, विभिन्न शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समितियों की अनुशंसाओं, विभिन्न कार्यों हेतु विशिष्ट समितियों के गठन, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को छठवें वेतनमान का लाभ, विश्वविद्यालय के भवनों का निर्माण, उनकी साज-सज्जा, देयकों का भुगतान एवं अन्य मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

अकादमिक परिषद्

वर्ष 2009 में विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् की बैठक दिनांक 25.07.2009 को हुई। इस बैठक में बैच-2 एवं बैच-3 के सफल उम्मीदवारों को उपाधियां प्रदान करने, गोल्ड मैडल प्रदान करने, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा पुनरीक्षित कोर्स लागू करने, नवीन स्टूडेंट मैनुअल लागू करने तथा नए स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्सेस तथा दूरवर्ती शैक्षणिक कार्यक्रम प्रारंभ करने के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया तथा इनकी अनुशंसाएं कार्यपालक परिषद् से की गई।

वित्त समिति

वर्ष 2009 में विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक दिनांक 07.03.2009, 22.08.2009 तथा 25.07.2009 को हुई। इन बैठकों में वित्तीय वर्ष 2009-10 तथा 2010-2011 का बजट, विश्वविद्यालय कर्मचारियों को छठवें वेतनमान का लाभ, नए कैम्पस में शिफ्ट होने से आवश्यकता के अनुरूप नवीन पदों का सृजन, आय के स्रोत बढ़ाने, स्थानीय लेखा संपरीक्षा द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 की अवधि हेतु सौंपी गई आडिट रिपोर्ट संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया एवं वित्त समिति की अनुशंसाएं अनुमोदित की गईं तथा कार्यवृत्त कार्यपालक परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

10. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम-1987 (Legal Services Authority Act-1987) के अन्तर्गत राज्य में विधिक सेवा व सहायता कार्यक्रमों को अमल में लाने तथा उसकी संचालन व क्रियान्वयन करने के लिये प्रत्येक राज्य में राज्यव्यापी नेटवर्क राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य मुफ्त तथा व्यापक कानूनी सेवा प्रदान करना है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-39क में राज्यों को निर्देश दिये गये हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि विधि प्रणाली के संचालन से समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा मिलें । इसमें राज्यों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे उचित कानून अथवा योजनाओं की मदद से लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराएं । इसके साथ ही इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है, कि आर्थिक अथवा अन्य असमर्थताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न रहें ।

10.1: छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में वर्तमान में पदाधिकारियों की संरचना -

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना मार्च 2002 में की गई, वर्तमान में पदाधिकारियों की संरचना निम्नानुसार है :-

1. **मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief)** छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	**माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय** छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
2. **कार्यपालक अध्यक्ष(Executive Chairman)** छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	**माननीय श्री न्यायामूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा** छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
3. **सदस्य सचिव (Member Secretary)** छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	**श्री ए. के. सिंघल** उच्चतर न्यायिक सेवा
4. **उप सचिव (Deputy Secretary)** छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	**श्री मो.रिजवान खान** निम्मतर न्यायिक सेवा

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,बिलासपुर में पदाधिकारियों की संरचना

1. **अध्यक्ष (Chairman)** छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	**माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा** छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
2. **सचिव (Secretary)** छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	**श्री ए. एल. जोशी** उच्चतर न्यायिक सेवा

10.2: जनउपयोगी सेवाओं के लिये स्थायी लोक अदालत के सभापित-

1. **सभापति (Chairman)** जनउपयोगी स्थायी लोक अदालत (जिला- बिलासपुर)	**रिक्त**
2. **सभापति (Chairman)** जनउपयोगी स्थायी लोक अदालत (जिला- रायपुर)	**श्रीमती मीनाक्षी गोंडाले** उच्चतर न्यायिक सेवा
3. **सभापति (Chairman)** जनउपयोगी स्थायी लोक अदालत (जिला- जगदलपुर)	**श्री शैलेष कुमार तिवारी** उच्चतर न्यायिक सेवा

10.3: पेंशन लोक अदालत की पीठ के अध्यक्ष एवं सदस्य गण
(जिला बिलासपुर/रायपुर/दुर्ग)

1. अध्यक्ष (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश)	श्री एम.पी.शर्मा, जिला बिलासपुर श्री आर.डी.कश्यप, जिला रायपुर श्री एन.एस.चौहान, जिला दुर्ग
2. सदस्य (सेवानिवृत्त कोषालय अधिकारी)	श्री जी.एस. पात्रे, जिला बिलासपुर श्री व्ही.एम.आशेर, जिला रायपुर
3. सदस्य (वरिष्ठ अधिवक्ता)	श्री गंगाप्रसाद बाजपेयी, जिला बिलासपुर श्री रामअवतार पाण्डेय,जिला रायपुर श्री टी.एल.तिवारी, जिला दुर्ग

10.4: छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का राज्य में नेटवर्क -

1. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर

2. अधीनस्थ कार्यरत् जिला विधिक सेवा प्राधिकरण **(16 जिले)**

   बस्तर/बिलासपुर/दक्षिणबस्तर दंतेवाड़ा/धमतरी/दुर्ग/जशपुरनगर/जांजगीर-चांपा/कबीरधाम(कवर्धा)/ कोरबा/कोरिया(बैकुण्ठपुर)/महासमुंद /रायगढ़/रायपुर/राजनांदगांव/सरगुजा(अम्बिकापुर)/उत्तर बस्तर कांकेर

   तालुका विधिक सेवा समितियॅा (67)

   कोण्डागांव/नारायणपुर/केशकाल **(जिला बस्तर)**

   मुंगेली/पेण्ड्रारोड/लोरमी/बिल्हा/तखतपुर/मरवाही/कोटा **(जिला बिलासपुर)**

   सुकमा/बिजापुर/बचेली/कोण्टा **(जिला दंतेवाड़ा)**

   कुरूद/नगरी **(जिला धमतरी)**

   बालोद/बेमेतरा/गुण्डरदेही/पाटन/साजा/डौंडीलोहार/दिल्लीराजहरा **(जिला दुर्ग)**

   सक्ती/चांपा/पामगढ़/डभरा/नवागंढ/जैजैपुर/मालखरौदा **(जिला जांजगीर-चांपा)**

   पत्थलगांव/कुनकुरी/बगीचा **(जिला जशपुरनगर)**

   पंडरिया **(जिला कबीरधाम)**

   कटघोरा/पाली/करतला **(जिला कोरबा)**

   मनेन्द्रगढ़/चिरमिरी/जनकपुर **(जिला कोरिया)**

   सरायपाली/पिथौरा **(जिला महासमुंद)**

   धरमजयगढ़/घरघोड़ा/सारंगढ़/खरसिया **(जिला रायगढ़)**

   बलौदाबाजार/गरियाबंद/भाटापारा/राजिम/सिमगा/तिल्दा/देवभोग/भटगांव/कसडोल/बिलाईगढ़ **(रायपुर)**

   खैरागढ़/डोंगरगढ़/अम्बागढ़/छुईखदान **(जिला राजनांदगांव)**

   सूरजपुर/प्रतापपुर/रामानुंजगंज/वाड्रफनगर/सीतापुर **(जिला सरगुजा)**

   भानुप्रतापपुर/पंखाजूर **(जिला उत्तर बस्तर कांकेर)**

10.5 छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वर्तमान में संचालित प्रमुख योजनायें-

1. लोक अदालत
2. विधिक सहायता एवं सलाह
3. विधिक साक्षरता शिविर
4. पेंशन लोक अदालत
5. जनउपयोगी स्थायी लोक अदालत
6. विधिक सेवा अधिवक्ता योजना
7. अभिरक्षाधीन बंदियों की पैरवी हेतु रिमाण्ड विधिक सेवा अधिवक्ता योजना
8. पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना
9. जिला विधिक परामर्श केन्द्र
10. आनलाईन विधिक सेवा योजना
11. कारागार परिसर में विधिक सेवा केन्द्र योजना
12. न्याय-सदन का निर्माण

10.6: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य में संचालित योजनायें-

1. राष्ट्रीय प्लान ऑफ एक्शन 2009-10 का क्रियान्वयन ।
2. माइक्रो विधिक साक्षरता शिविर स्कीम।
3. राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के लिये विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन
4. राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के लिये लोक अदालत का आयोजन ।
5. लीगल एड क्लीनिक ।
6. मोबाईल वैन योजना ।
7. विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों में विधिक सहायता ।
8. मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र की स्थापना।

10.7: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष में आयोजित कार्यक्रम

1. 08 मार्च,09 से 14 मार्च,09 तक राष्ट्रीय महिला विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन
2. 01 मई,09 से 07 मई,09 तक श्रमिक विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन।
3. 12 जून,09 से 18 जून,09 तक बाल श्रमिक दिवस सप्ताह का आयोजन।
4. 01 अक्टूबर,09 को वरिष्ठ नागरिक दिवस का आयोजन।
5. 10 अक्टूबर,09 से 16 अक्टूबर,09 तक विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह आयोजन
6. 09 नवम्बर,09 को विधिक सेवा दिवस का आयोजन ।
7. 01 दिसम्बर,09 विश्व एड्स दिवस का आयोजन ।
8. 03 दिसम्बर, 09 विश्व विकलांगता दिवस का आयोजन।
9. 10 दिसम्बर,09 विश्व मानवाधिकार दिवस का आयोजन ।

10.8: वर्ष 2009 में माह जनवरी,09 से दिसम्बर, 09 तक की अवधि में छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रमुख गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण -

छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ वर्तमान में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, **16 जिला** विधिक सेवा प्राधिकरण, **67 तालुका** विधिक सेवा समिति, **03 जनउपयोगी सेवाओं** के लिये स्थायी लोक अदालत (बिलासपुर/रायपुर/जगदलपुर जिले में गठित) एवं **03 पेंशन** लोक अदालतें (बिलासपुर/रायपुर/दुर्ग जिले में गठित) कार्यरत् है ।

राज्य के 16 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में **न्याय सदनों** की स्थापना की जा रही है जिसमें **दंतेवाड़ा, बिलासपुर एवं राजनांदगांव में स्थापित न्याय-सदन** का उद्घाटन हो चुका है ।

जिला दुर्ग के न्याय सदन भवन पूर्ण हो चुका है जिसका उद्घाटन शीघ्र होना है । शेष जिलों में निर्माण की प्रक्रिया चल रही है ।

प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला में **लीगल-एड-क्लीनिक** की स्थापना की जा चुकी है। तालुका स्तर पर लीगल एड क्लीनिक की स्थापना की जा रही है ।

आन लाईन विधिक सेवा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,बिलासपुर तथा सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में उपलब्ध है। जिसके माध्यम से आन लाईन विधिक सेवा एवं सलाह दूरभाष पर उपलब्ध करायी जा रही है ।

इस **वर्ष 2009 में नवम्बर तक** के प्राप्त आकड़ों के अनुसार नियमित विधिक सेवा की योजनाओं के अंतर्गत **776 माइक्रो विधिक साक्षरता शिविर** आयोजित किये जा चुके हैं । **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना** से संबंधित **विशेष लोक अदालतें 390एवं 544 विशेष विधिक साक्षरता शिविर** आयोजित किये गये है।

जिला एवं तालुका स्तर पर प्रत्येक माह में 01 नियमित लोक अदालत एवं प्रत्येक **तीसरे माह में एक वृहद लोक अदालत** आयोजित की जा रही है जिसके तहत अब तक **841 लोक अदालत** आयोजित हो चुकी हैं ।

1730 विधिक सहायता एवं 1399 मामलों में विधिक सलाह प्रदान की जा चुकी है ।

जनउपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत में 1252 मामलें संदर्भित किये गये थें जिनमें से 102 का निराकरण हुआ है ।

पेंशन लोक अदालत में 99 बैठक हुई हैं जिनमें 658 मामलें संदर्भित हुये हैं उनमें से 115 का निराकरण किया गया है ।

राज्य में नियमित रूप से 2216 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किये गये है ।

इस वर्ष माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला कोरिया, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा एवं कोरबा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कृत्यशील (functional) बनाये जाने हेतु प्राधिकरणों के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक ली गई, एवं राष्ट्रीय प्लान-आफ-एक्शन वर्ष 2009-10 तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन दिया गया ।

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय द्वारा 17.01.09 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर में मध्यस्थता केन्द्र का उद्घाटन किया गया ।

राज्य में क्रमशः रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में कबीरधाम को शामिल करते हुये, धमतरी में महासमुंद एवं कांकेर को शामिल करते हुये, कोरबा में जांजगीर-चांपा को शामिल करते हुये, रायगढ़ में जशपुर को शामिल करते हुये न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के लिये मध्यस्थता जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है ।

राज्य स्तरीय मध्यस्थता प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जिले से एक न्यायिक अधिकारी एवं एक अधिवक्ता को शामिल करते हुये 40 घण्टे का प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रथम चरण रायपुर में एवं द्वितीय चरण दुर्ग में आयोजित किये गये, जिसके पूर्ण होने से राज्य में 40 घण्टे के आवश्यक ट्रेनिंग प्राप्त प्रशिक्षित मध्यस्थ की संख्या वर्तमान में 28 हैं । 26 जनवरी 2009 को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर माननीय मुख्य न्यायाधिपति/मुख्य संरक्षक एवं माननीय न्यायमूर्ति कार्यपालक अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा माननीय न्यायमूर्ति अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा **वृहद विधिक साक्षरता शिविर** के आयोजन हेतु 10 वाहनों में साक्षरता दलों को रवाना किया गया ।

दिनांक 14 मई 2009 को माननीय मुख्य न्यायाधिपति छ.ग.उच्च न्यायालय द्वारा **महिला सशक्तिकरण विधिक साक्षरता अभियान पुस्तिका आधार शिला** का विमोचन किया गया ।

दिनांक 25 जुलाई 2009 को राज्य प्राधिकरण के सभागार में छत्तीसगढ राज्य **महिला आयोग** एवं **राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान** में माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य आतिथ्य में प्रथम चरण में महिलाओं के लिये **विधिक जागरुकता प्रशिक्षण कार्यक्रम** का आयोजन किया गया तथा द्वितीय चरण में दिनांक 09 सितम्बर,09 को रायपुर में महिला विधिक जागरूगकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

दिनांक 9 अगस्त 2009 को छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में संविधान के अनुच्छेद 39-क तहत समान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता को कैसे सरल बोध गम्य बनाया जाय सभी योजनाओं को गॉव-गॉव तक कैसे पहॅुचाया जाये इस विषय पर माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में **गोष्ठी** का आयोजन किया गया जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडियाकर्मी, लेखक एवं साहित्यकारों से विचार विर्मष किया गया ।

09 नवम्बर,2009 को **''विधिक सेवा दिवस''** के अवसर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में न्याय सदन बिलासपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

राज्य के सभी विद्‌वविद्यालय एवं व्यवसायिक महाविद्यालय में **एण्टी रैंगिग अभियान** के तहत विशेष समारोह गोष्ठी, शिविर आयोजित किये गये ।

10.9 : विभागीय बैठक का आयोजन :-

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वार्षिकी विभागीय बैठक दिनांक 12.12.2009 को माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेन्द्र मिश्रा, कार्यपालक अध्यक्ष महोदय, छ. ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा, अध्यक्ष,उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई । उक्त बैठक में माननीय रजिस्ट्रार जनरल छ. ग. उच्च न्यायालय, माननीय एडवोकेट जनरल छ.ग. उच्च न्यायालय, प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय रायपुर, सचिव वित्त विभाग रायपुर, सचिव, गृह विभाग, संचालक अभियोजन रायपुर, उपपुलिस महानिदेशक रायपुर, जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जगदलपुर, अध्यक्ष, छ.ग. राज्य अधिवक्ता विधिज्ञ परिषद, अध्यक्ष छ.ग. उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मनोनीत सदस्य उपस्थित रहे । उक्त बैठक में विभागीय कार्यवाही से संबंधित युक्तियुक्त निर्णय लिये गये ।

10.10: प्रशासकीय स्वीकृतियां -

प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर के लिये एक-एक कम्प्यूटर (कुल 17 नग) क्रय हेतु छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक 6701/543/21-बजट रायपुर दिनांक 29 सितम्बर,09 के अनुसार 8.50 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है । साथ ही कान्फ्रेंस हाल के फर्नीचर हेतु 8.00लाख स्वीकृत की गई ।

10.11: संचालित योजनाओं हेतु मदवार प्राप्त आबंटन -

राज्य शासन द्वारा वित्त वर्ष 2009-2010 हेतु निम्नानुसार मदवार अनुदान राशि की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है :

क्रमांक	मांग संख्या		आबंटित राशि (लाखों में)
1	29-2235 (आयोजना)	Plan	25.00
2	41-2235 (आयोजना)	Plan	27.00
3	64-2235 (आयोजना)	Plan	4.50
4	29-2235 (आयोजनेत्तर)	Non-Plan	126.00

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली से विधिक सहायता कार्यक्रमों के आयोजन हेतु वित्त वर्ष 2009-10 हेतु 20 लाख की राशि आबंटित की गई है ।

10.12: वर्ष-2009 के लिये जिलेवार नियुक्त किये गये निःशुल्क विधिक सेवा अधिवक्ताओं एवं रिमाण्ड पेनल अधिवक्ताओं की संख्या निम्नानुसार है:-

जिले का नाम	विधिक सेवा अधिवक्ताओं की संख्या	रिमाण्ड पेनल अधिवक्ताओं की संख्या
बस्तर	60	8
बिलासपुर	181	7
दंतेवाड़ा	15	4
धमतरी	27	2
दुर्ग	59	10

जिले का नाम	विधिक सेवा अधिवक्ताओं की संख्या	रिमाण्ड पेनल अधिवक्ताओं की संख्या
जाजंगीर-चोंपा	71	4
जशपुरनगर	15	1
कबीरधाम	53	1
कोरबा	50	5
कोरिया (बैकुण्ठपुर)	76	34
महासमुंद	12	8
रायगढ़	59	21
रायपुर	109	22
राजनांदगांव	102	9
सरगुजा (अम्बिकापुर)	118	9
उत्तर बस्तर कांकेर	18	8
उच्च न्याया.विधिक सेवा समिति,बिलासपुर	129	---
कुल योग	**1154**	**153**

10.13: राज्य प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं की संकलित सांख्यिकी जानकारी

वर्ष-2009 (जनवरी-09 से नवम्बर-09 तक)

1. स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन :-

आयोजित लोक अदालत	प्रस्तुत प्रकरण	निराकृत प्रकरण	पारित डिक्री राशि	मुआवजा राशि	लभान्वितों की संख्या
928	32359	7040	1,46,73,939.00	9,21,09,337.00	16144

2. विधिक सहायता एवं सलाहः-

अनु.जाति	अनु.जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	महिला	बच्चे	अभिरक्षा में	कुल योग
436	387	544	296	566	10	1576	3815

3. विधिक साक्षरता शिविर का आयोजनः-

आयोजित शिविर	ग्रामीण क्षेत्र में	शहरी क्षेत्र मे	जेल में	कुल लाभान्वित
2488	2160	292	36	257708

4. पेंशन लोक अदालतः-

आयोजित लोक अदालत	प्रस्तुत प्रकरण	निराकृत प्रकरण	लभान्वितों की संख्या
108	726	121	121

5.जनउपयोगी स्थायी लोक अदालत :-

प्रस्तुत प्रकरण	निराकृत प्रकरण	परिवहन सेवा	डाक सेवा	टेलीफोन	विद्युत सप्लाई	जन- स्वच्छता	जल	बीमा सेवायें	अस्पताल	अन्य प्रकरण	लभान्वित व्यक्ति
1323	104	2	--	--	5	10	1	71	4	11	371

11. शासकीय/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषको की नियुक्ति

राज्य के न्यायालयों में शासन की ओर से पक्ष समर्थन किये जाने हेतु दिनांक 01.01.2009 से 31.12.2009 तक नियमित न्यायालय में निम्नानुसार शासकीय/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त किये गये है:-

1	शासकीय अभिभाषक	-	05
2	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक	-	08

12. नोटरी :-

छत्तीसगढ़ राज्य में 09 अधिवक्ताओ को नोटरी के रूप में कार्य करने हेतु लायसेंस प्रदान किये गये है ।

13. उच्चतम न्यायालय में स्टेन्डिंग कौंसिल :-

उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से प्रकरणो में पैरवी करने हेतु श्री अतुल झा तथा श्री अनिरूद्ध पी मयी को स्टैण्डिंग कौसिंल के रूप में नियुक्त किया गया है ।

छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में लंबित प्रकरणो में पैरवी के लिए श्री जुगल किशोर टीकम चंद गिल्डा, अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है ।

स्टेन्डिंग कौंसिल म. प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर :-

1.	श्री अजय ओझा	-	स्टेन्डिंग कौंसिल (उच्च न्याया. के प्रकरणों के साथ केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का कार्य भी देखेगें)

14. महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर में पदस्थ विधि अधिकारीगण

महाधिवक्ता के महत्वपूर्ण पद पर श्री देवराज सिंह सुराना नियुक्त हैं । महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में निम्नानुसार विधि अधिकारी कार्यरत हैः-

कमांक	नाम	पदनाम
1	श्री जुगल किशोर टीकमचंद गिल्डा	अतिरिक्त महाधिवक्ता
2	श्री आशुतोष सिंह गहरवार	अतिरिक्त महाधिवक्ता
3	श्री किशोर भादुड़ी	अतिरिक्त महाधिवक्ता
4	श्री व्ही. व्ही. एस. मूर्ति	उप महाधिवक्ता
5	श्री विनय हरित	उप महाधिवक्ता
6	श्री यशवंत सिंह ठाकुर	उप महाधिवक्ता
7	श्री आशुतोष सिंह कछुवाहा	उप महाधिवक्ता
8	श्री जी. डी. वासवानी	शासकीय अधिवक्ता
9	श्री अरुण साव	शासकीय अधिवक्ता
10	श्री विनोद श्रीवास्तव	शासकीय अधिवक्ता
11	श्री यू. एन. एस. देव	शासकीय अधिवक्ता
12	श्री रमाकांत मिश्रा	शासकीय अधिवक्ता
13	श्री आशीष शुक्ला	शासकीय अधिवक्ता
14	श्री सुमेश बजाज	शासकीय अधिवक्ता
15	श्री सुशील चंद्र दुबे	शासकीय अधिवक्ता
16	श्री सतीश गुप्ता	शासकीय अधिवक्ता
17	श्री देव कुमार ग्वालरे	शासकीय अधिवक्ता
18	श्री आलोक बख्शी	शासकीय अधिवक्ता
19	श्री संदीप यादव	उप शासकीय अधिवक्ता
20	श्री सुधीर बाजपेयी	उप शाासकीय अधिवक्ता
21	श्री अखिल मिश्रा	उप शासकीय अधिवक्ता
22	श्री अजय द्विवेदी	उप शासकीय अधिवक्ता
23	श्री प्रवीण दास	उप शासकीय अधिवक्ता
24	श्री राकेश झा	उप शासकीय अधिवक्ता
25	श्री एम. पी. एस. भाटिया	उप शासकीय अधिवक्ता
26	श्री विनोद देशमुख	उप शासकीय अधिवक्ता

15. सूचना का अधिकारः-

विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू है । अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रमुख सचिव, विधि लोक प्राधिकारी है तथा विभाग में निम्नानुसार अधिकारीगण नामांकित किए गये है :-

1.	श्री यू. के. काटिया अतिरिक्त सचिव, विधि	-	अपीलीय अधिकारी
2.	श्री डी.पी. पाराशर उप सचिव, विधि	-	जनसूचना अधिकारी
3.	श्री अनिल सिन्हा अवर सचिव, विधि	-	सहायक जनसूचना अधिकारी

विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने हेतु 96 आवेदन पत्र प्राप्त हुए उनमें से 96 आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जाकर चाही गई जानकारी नियमानुसार प्रदान कर दी गई है ।

16. विभाग की महत्वपूर्ण शाखाओं द्वारा संपादित कार्य :-

विधि और विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत अनेक शाखाऐं कार्यरत है । विभाग की महत्वपूर्ण शाखाओं द्वारा निपटाये गये कार्य का प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

1. विधीक्षा शाखा :-

विधीक्षा शाखा में प्रत्यायोजित विधान से संबंधित कार्य होता है इसके अंतर्गत शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त नियमों अधिसूचनाओं, आदेशों, उपविधियों एवं विनियमों का प्रारुप का परिमार्जन किया जाता है । विधि विभाग के विधिक्षा शाखा में प्राप्त कुल प्रकरणों की संख्या एवं निराकृत प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार हैं :-

1.	प्राप्त प्रकरण	-	316
2.	मूल भर्ती नियम संबंधी अधिसूचनाओं के निराकृत प्रकरण	-	31
3.	संशोधन नियमों की अधिसूचनाओं के निराकृत प्रकरण	-	69
4.	मूल नियम/संशोधन नियम संबंधी प्रकरणों में अपेक्षित जानकारी के प्रकरण एवं भर्ती नियम से भिन्न नियम की अधिसूचना प्रकरण	-	200
5.	प्रस्तुति में	-	16

2. मत शाखा :-

मत शाखा द्वारा प्रशासकीय विभाग से प्राप्त प्रकरणों में विधिक बिन्दुओं पर अभिमत व्यक्त किये जाने के साथ ही प्राप्त अनुबंध, निविदा, एम.ओ.यू. एवं विभाग जांच से संबंधित प्रारूप का परिमार्जन भी किया जाता है।

दिनांक 01.01.2009 से 31.12.2009 तक की अवधि में मत शाखा द्वारा निम्नानुसार प्रकरणों का निराकरण किया जाकर प्रकरण संबंधित विभागों को लौटाये गये हैं :-

1.	अभिमत के प्रकरण	-	104
2.	अनुबंध, निविदा के प्रारूप का परिमार्जन	-	13
3.	एम.ओ.यू. के प्रारूप का परिमार्जन	-	11
4.	विविध एवं सूचनार्थ प्राप्त प्रकरण	-	107

3. प्रारुपण शाखा :-

प्रारुपण शाखा द्वारा शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त विधेयक, अधिनियम एवं अध्यादेशो के प्रारुपों का परिमार्जन किया जाता है । प्रारुपण शाखा में जनवरी 2009 से 31 दिसम्बर 2009 तक कुल विभिन्न प्रकार के 221 प्रकरण प्राप्त हुए । सभी प्रकरणों का निराकरण किया गया ।

प्रारुपण शाखा द्वारा वर्ष 2009 में 10 अधिनियम एवं 06 अध्यादेशों को तैयार कर संबंधित विभागों को दिये गये, उनमें से 03 अध्यादेश प्रख्यापित किये गये ।

4. अनुवाद शाखा :-

अनुवाद शाखा द्वारा विभागों से प्राप्त विधेयक, अधिनियम एवं अध्यादेशों के हिन्दी विधायन का कार्य संपादित होता है तथा विभागों से प्राप्त नियम, उपनियम, आदेश, अधिसूचना आदि के हिन्दी प्रारुप के परिमार्जन का कार्य किया जाता है ।

हिन्दी विधिक्षा - नियम/विनियम/आदेश

प्राप्त प्रकरणो की संख्या	-	121
निराकृत प्रकरणों की संख्या	-	117
लंबित प्रकरण	-	04

हिन्दी प्रारूपण - अधिनियम/विधेयक/अध्यादेश

प्राप्त प्रकरणो की संख्या	-	27
निराकृत प्रकरणों की संख्या	-	26
लंबित प्रकरण	-	01

5. स्थापना शाखा :-

स्थापना शाखा में दिनांक 01.01.2009 से 31.12.2009 तक प्राप्त प्रकरणों / प्रपत्रों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:-

प्राप्त महत्वपूर्ण प्रकरण

प्राप्त प्रकरणो की संख्या	-	125
निराकृत प्रकरणों की संख्या	-	125
लंबित प्रकरण	-	0

विभिन्न विभाग से प्राप्त प्रकरण/प्रपत्र

प्राप्त प्रकरणो की संख्या	-	3471
निराकृत प्रकरणों की संख्या	-	3471
लंबित प्रकरण	-	0

6. याचिका/आपराधिक/सिविल/अभियोजन/न्यायिक/बजट शाखा :-

विभाग की इन शाखाओं में प्राप्त प्रकरणों/प्रपत्रों तथा निराकृत प्रकरणों/ प्रपत्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

याचिका शाखा :-

याचिका शाखा में दिनांक 01.01.2009 से 31.12.2009 तक प्राप्त प्रकरणों/प्रपत्रों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	प्रकरण का विषय	प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	लंबित प्रकरण
1.	एस.एल.पी.	15	14	01
2.	अवमानना	15	13	02
3.	केवियेट	15	15	00
4.	राज्य के बाहर के प्रकरण	31	31	00
5.	अपील/अभिमत के प्रकरण	21	21	00
6.	प्रतिरक्षण आदेश संबंधी प्रकरण	2813	2769	44
7.	महाधिवक्ता एवं अन्य विविध पत्र	394	394	00

आपराधिक/अभियोजन शाखा :-

इस विभाग की अभियोजन शाखा द्वारा भ्रष्टाचार निवारण एवं अन्य धाराओं के प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी किए जाते हैं । गृह विभाग से प्राप्त प्रकरणों पर प्रकरण वापसी/दया याचिका हेतु अभिमत दिया जाता है । सत्र न्यायालय में पारित निर्णयों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की जाती है । साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की जाती है एवं विभागों से प्राप्त प्रकरणों में शासन की ओर से प्रतिरक्षण आदेश जारी किए जाते हैं ।

आपराधिक/अभियोजन शाखा में दिनांक 01.01.2009 से 31.12.2009 तक प्राप्त प्रकरणों/प्रपत्रों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	**प्रकरण का विषय**	**प्राप्त/निराकृत प्रकरण**
1.	अभियोजन प्रकरण	42
2.	दया याचिका	28
3.	प्रकरण वापसी	48
4.	अपील प्रकरण	112
5.	प्रतिरक्षण	49
6.	अन्य विभागों से प्राप्त प्रपत्र	84
7.	अन्य नस्तियों पर अभिमत एवं पत्रों पर कार्यवाही	44

सिविल शाखा			
	प्राप्त प्रकरणो की संख्या	-	562
	निराकृत प्रकरणों की संख्या	-	562
	लंबित प्रकरण	-	0
न्यायिक शाखा	प्राप्त प्रपत्र	-	3081
	निराकृत प्रपत्र	-	3058
	लंबित प्रपत्र	-	23
बजट शाखा	प्राप्त प्रपत्र	-	847
	निराकृत प्रपत्र	-	827
	लंबित प्रपत्र	-	20

17. सारांश :–

छत्तीसगढ राज्य में सचिवालयीन विभागों में सम्मिलित विधि विभाग सचिवालय का एक महत्वपूर्ण अंग है । विधि विभाग द्वारा न्याय प्रशासन के उन्नयन, राज्य में आवश्यकता अनुसार विधि का निर्माण तथा शासन के विरुद्ध न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों मे समुचित रुप से राज्य शासन का पक्ष समर्थन का कार्य प्रमुखता से संपादित किया जाता है । विधि और विधायी कार्य विभाग का कार्य, विभाग की विधि नियमावली में उल्लेखित विधि अनुसार होता है । संक्षेप में यह कहना अतिशयोक्ति पूर्ण न होगा कि विधि विभाग द्वारा अपने कार्यो का निर्वहन अत्यंत दक्षतापूर्वक संपादित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है तथा राज्य में विधि अनुसार कार्य का संचालन तथा प्रदेश में न्याय प्रशासन के उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु विभाग कृत संकल्प है ।

18. भविष्य की योजनाएं :–

1. वर्तमान में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर, जांजगीर–चांपा, राजनांदगांव, कोरबा, कोरिया, कवर्धा महासमुन्द, कांकेर एवं धमतरी में कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना की जा चुकी है शेष 2 सिविल जिले एवं नये राजस्व जिले नारायणपुर एवं बीजापुर में कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किये जाने का लक्ष्य है ।
2. राज्य के राजस्व जिले नारायणपुर एवं बीजापुर को सिविल जिला बनाये जाने का लक्ष्य है ।
3. राज्य के सभी न्यायालयों को जेलो के साथ विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जोड़े जाने का लक्ष्य है ।
4. विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत महिला एवं बालको के लिये प्रकोष्ठ का गठन किये जाने का लक्ष्य है ।